

122 (3)

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

भोपाल दिनांक 11-07-18

आदेश

क्र./एफ-44-11/20-20-20 प्रदेश के मान्यता प्राप्त डी.एल.एड. (द्वितीय) पाठ्यक्रम संचालित करने वाली अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के विनियम 2002 एवं संशोधन विनियम 2010 द्वारा शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा प्रदेश के अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों के लिए वर्ष 2017-18 के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है :-

स.क्र	श्रेणी	निर्धारित शुल्क
1	भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	₹ 35,000/- प्रति छात्र
2	उक्त शहरों के अतिरिक्त अन्य नगर निगम वाले मुख्यालयों में स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	₹ 32,500/- प्रति छात्र
3	शेष स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों हेतु	₹ 30,000/- प्रति छात्र

2/ उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क पृथक से देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल दिनांक 11-07-18

क्र./एफ-44-11/20-20-20  
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान.मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मंत्रालय शासन-आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त लोक शिक्षण/आदिवासी विकास मंत्रालय भोपाल।
5. संचालक राज्य शिक्षा केंद्र मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मंत्रालय भोपाल।
7. समस्त कलेक्टर (मंत्रालय)
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (मंत्रालय)
9. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड भोपाल।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण/संयुक्त आदिवासी विकास (मंत्रालय)
11. समस्त प्राचार्य आई.ए.एस.ई. / एच.आई.एस.ई. / शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (मंत्रालय)
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास (मंत्रालय)
13. समस्त प्राचार्य डाइट (मंत्रालय)
14. समस्त प्राचार्य अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान (डी.एल.एड.) मंत्रालय की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. आर्कर मुक

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

84